

FORM NO-IIIफर्द अहकाम
(नियम 26)#2019/00277¹³²
83/2019

अज अदालत— अपीलीय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर

पवन कुमार शर्मा बनाम लोक सूचना अधि० एवं उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

किस्म मुकदमा—सूचना का अधिकार अधि.—2005

प्रकरण संख्या 83 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

15/10/2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट की अपील का मूल आवेदन, स्मरण पत्र दिनांक 27.09.2019 एवं पत्रादि सहित अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा अपील के सन्दर्भ में प्रेषित टिप्पणी में तहसीलदार केकड़ी को अपीलान्ट/प्राथी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने बाबत पत्र दिनांक 24.9.2019 से निर्देशित किये जाने एवं प्रति अपीलान्ट को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है। उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार केकड़ी को निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध, देय सूचना/विनिश्चय से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अपने कार्यालय में सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त पत्रादि/आवेदनों का व्यवस्थित संधारण करें ताकि अपीलोत्तर एवं सूचना प्रदान करने में विलम्ब ना हों। अपील, अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर3319-20
22/10/19